निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 732) पटना, बुधवार, 25 अगस्त 2021

सं० 6बी०/वि०–1012/2021–543

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

28 जून 2021

विषय :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश की स्वीकृति।

विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015–20) के तहत बिहार के सभी परिवारों को पाईप्ड जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020–25) के अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' निश्चय अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख–रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। 'हर घर नल का जल' निश्चय की कार्यकारी व्यवस्था के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 'हर घर नल का जल' का कार्य राज्य के वैसे ग्राम पंचायत के वार्ड जहाँ भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन अधिक मात्रा है तथा वैसे ग्राम पंचायत जहाँ विभाग द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं, किया जा रहा है। साथ ही, पंचायती राज विभाग, बिहार हेतु निर्धारित वैसे ग्रामीण वार्ड, जहाँ भौगोलिक रूप से जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, में विशेष परिस्थितियों में जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं।

विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण का कार्य लोक निर्माण संहिता में विहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक एजेंसी द्वारा कराया गया है। संवेदक एजेंसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण के उपरांत तीन/छः माह के ट्रायल रन के बाद योजना का आगामी पाँच वर्षों तक संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य सुनिश्चित करना है। परन्तु जलापूर्ति योजनाओं की सेवा प्रदायता को दीर्घकालिक बनाये रखने के लिए वर्तमान में क्रियान्वित संचालन एवं रख–रखाव व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश तैयार किये गये हैं (परिशिष्ट–1)। इस अनुदेश के तहत निम्नवत् निदेश क्रियान्वित किये जायेंगेः–

2.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित एवं अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।

किसी ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजना में जल गुणवत्ता से संबंधित समस्या प्रतिवेदित होने और उस योजना में जलशोधन इकाई के अधिष्ठापन की आवश्यकता की स्थिति में संबंधित

जलापूर्ति योजना को ग्राम पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को हस्तांतरित करेंगे।

2.2 जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा सायंकाल सभी माह में 4:00 बजे से 7:00 बजे तक होगी। संचालन के लिए संवदेक/एजेंसी के द्वारा एक पम्प ऑपरेटर भी रखा जायेगा जिसका दायित्व होगा कि जलापूर्ति केवल निर्धारित अवधि में ही की जाय। जलापूर्ति की अवधि की सूचना सर्वसुलभ माध्यम से संचालक एजेंसी यथा; पम्प ऑपरेटर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक ज्ञापित की जायेगी और पम्प हाउस (बहुग्रामीय योजना के संबंध में जल मीनार स्थल पर) पर भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

पम्प ऑपरेटर द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि की जायेगी और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० (जहाँ तक संभव हो, उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लिया जायेगा।

2.3 लघु मरम्मति हेतु संवेदक/एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'मरम्मति दल' का गठन किया जायेगा। इस मरम्मति दल में न्यूनतम एक प्लम्बर एवं दो हेल्पर होंगे और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आदि कर्मियों की समसय उपलब्धता कार्य आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। संवेदक/एजेंसी द्वारा मरम्मति एवं रख–रखाव से संबंधित उपस्कर, औजार, सामग्रियों (कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार) का संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्टोर बनाकर किया जायेगा। स्टोर सामान्यतः पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन या ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान में होगा और यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

2.4 बड़ी खराबी (Major Breakdown) की सूचना प्राप्त होते ही संवेदक/एजेंसी वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करेंगे और मरम्मति निर्धारित अवधि में पूरा करेंगे।

2.5 लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति की सतता (continuity) बनाये रखने के लिए मरम्मति अनुश्रवण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मरम्मति अनुश्रवण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सामान्यतः अवर प्रमंडल/प्रशाखा स्तर पर 'मरम्मति दल' का गठन आउटसोर्सिंग के आधार पर कराया जायेगा। 'मरम्मति दल' में मोटरसाईकिल के साथ एक प्लम्बर और दो हेल्पर होंगे। कार्य आवश्यकतानुसार इस दल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मेशन, आदि कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। इसकी व्यवस्था गैर योजना मद में प्राप्त निधि से की जायेगी। 'मरम्मति दल' द्वारा संपादित कार्य में आयी कुल लागत राशि और शत प्रतिशत (100%) जुर्माना राशि की वसूली संवेदक/एजेंसी से की जायेगी।

2.6 जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन प्राप्त सभी परिवारों से प्रति गृह जल संयोजन से रू० 30 (तीस रूपया) मासिक उपभोक्ता प्रभार लिया जायेगा, जो सभी उपभोक्ताओं पर समरूप लागू होगा। इसमें आवश्यकतानुसार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

2.7 उपभोक्ता प्रभार की वसूली अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा मासिक रूप से की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव से यह कार्य करा सकेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित राशि में से अधिकतम 50% राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त की जा सकेगी, जो चेक अथवा ई–ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते में नियमानुसार अंतरित की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अनिच्छा की स्थिति में वार्ड सभा द्वारा नामित वार्ड सचिव को कार्य करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

2.8 लोक शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रणाली (Centralized Grievance Redressal System) को सशक्त किया जायेगा।। कॉल एवं एस०एम०एस० आधारित पद्धति द्वारा शिकायतों के निवारण एवं उपभोक्ता संतुष्टि आकलन भी कराया जायेगा। साथ ही, जलापूर्ति योजनाओं में IoT Device के माध्यम से क्रियाशीलता (Functionality) आकलन किया जायेगा।

2.9 जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवें वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद से एवं गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से भी सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) क्रियान्वित की जा सकेगी।

2.10 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए विभाग अधिकृत होगा।

3- **भौतिक आकार ।**– योजना का भौतिक आकार सम्पूर्ण बिहार होगा।

4- **fuf/k dh miyC/krkA&**जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवें वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद से एवं गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) का कार्यान्वयन उपबंधित राशि से किया जा सकेगा।

राज्य योजना मद में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) के विभिन्न सुसंगत शीर्षों में कुल रू० 2450.00 लाख का बजटीय उपबन्ध है। इसी बजटीय उपबन्ध से राशि उपलब्ध कराई जायेगी। अतिरिक्त निधि का व्यवस्थापन पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा।

5- **ctV 'kh"k A**–योजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0133– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215011020133,

मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0115– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215017890115,

मुख्य शीर्ष – 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0120– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड – 36–4215017960120,

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0106– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215011020132,

मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215017890104 एवं

मुख्य शीर्ष – 2215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्र उप योजना – उपशीर्ष – 0105– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड – 36–4215017960105

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम– उपशीर्ष–0107– ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय 2 विपत्र कोड–36–4215011020107, तथा

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0132– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215011020132,

मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0114– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215017890114 एवं

मुख्य शीर्ष – 2215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0119– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड – 36–4215017960119 मे भारितव्य होगा।

6- अनुदेश दस्तावेज एवं उसमें निहित विभागीय प्रावधानों पर दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त की गई है।

7- यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ भेजी जाय।

vkn'k ls]
जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश

1. प्रस्तावना ।–विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015–20) के तहत बिहार के सभी परिवारों को पाईप्ड जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020–25) के अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' निश्चय अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख–रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। 'हर घर नल का जल' निश्चय की कार्यकारी व्यवस्था के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 'हर घर नल का जल' का कार्य राज्य के वैसे ग्राम पंचायत के वार्ड जहाँ भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन अधिक मात्रा है तथा वैसे ग्राम पंचायत जहाँ विभाग द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं, किया जा रहा है। साथ ही, पंचायती राज विभाग, बिहार हेतु निर्धारित वैसे ग्रामीण वार्ड, जहाँ भौगोलिक रूप से जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, में विशेष परिस्थितियों में जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं।

1.2 **पाईप्ड जलापूर्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत**

- सभी तक पहुँच (Access to all)
- पूरे वर्ष पेयजल की आपूर्ति (Adequacy of drinking water throughout the year)
- पेयजल की गुणवत्ता (Quality of drinking water)
- पेयजल स्रोतों की सतता (निरन्तरता) (Sustainability of drinking water sources)
- जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव में जनभागीदारी (Community Participation in Operation and Maintenance of Water Supply Schemes)

1.3 सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पाईप्ड जलापूर्ति योजनाएँ यथा; बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीय जलापूर्ति योजना, पाईप्ड जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना और मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना तैयार की गई हैं।

2. जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव व अनुरक्षण की वर्तमान व्यवस्था ।–विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण का कार्य लोक निर्माण संहिता में विहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक एजेंसी द्वारा कराया गया है। संवेदक एजेंसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण के उपरांत तीन/छः माह के ट्रायल रन के बाद योजना का आगामी पाँच वर्षों तक संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य सुनिश्चित करना है।

तीन/छः माह का ट्रायल रन समाप्त होते ही योजना का 5 वर्षों के 'संचालन एवं रख–रखाव' का चरण प्रारंभ होता है। इस अवधि में संवेदक/एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि जलापूर्ति योजनाओं की अभियांत्रिक संरचनाएं एवं मशीन/उपकरण आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करें और निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप हो। योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यबल एवं सामग्री (विभाग के निदेशानुसार) रखी जानी है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश ।–

क. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभावी तिथि।**– यह "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश" कहा जायेगा। इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण ग्रामीण बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाएँ होंगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा।

ख. **जलापूर्ति योजना के संचालन, रख रखाव एवं अनुरक्षण में शामिल योजनाएँ।**–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित एवं अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।

किसी ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजना में जल गुणवत्ता से संबंधित समस्या प्रतिवेदित होने और उस योजना में जलशोधन इकाई के अधिष्ठापन की आवश्यकता की स्थिति में संबंधित जलापूर्ति योजना को ग्राम पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को हस्तांतरित करेंगे।

ग. **जलापूर्ति योजना का संचालन।**–जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा सायंकाल सभी माह में 4:00 बजे से 7:00 बजे तक होगी। संचालन के लिए संवदेक/एजेंसी के द्वारा एक पम्प ऑपरेटर भी रखा जायेगा जिसका दायित्व होगा कि जलापूर्ति केवल निर्धारित अवधि में ही की जाय। जलापूर्ति की अवधि की सूचना सर्वसुलभ माध्यम से संचालक एजेंसी यथा; पम्प ऑपरेटर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक ज्ञापित की जायेगी और पम्प हाउस (बहुग्रामीय योजना के संबंध में जल मीनार स्थल पर) पर भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

पम्प ऑपरेटर द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि की जायेगी और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० (जहाँ तक संभव हो, उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लिया जायेगा।

घ. **जलापूर्ति योजना का निवारक अनुरक्षण (Preventive Maintenance)** ।–जलापूर्ति योजना के निवारक अनुरक्षण से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं का नियमित व निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण और पूरी तरह से खराब होने के पूर्व स्पेयर पार्ट्स का बदला जाना है। संचालन एजेंसी प्राथमिक रूप से पम्प ऑपरेटर और/अथवा नामित कर्मी को निवारक अनुरक्षण हेतु जवाबदेह बनायेगी।

विभाग द्वारा संवेदक एजेंसी को निवारक अनुरक्षण की गतिविधियों को चिन्हित करते हुए इसके अनुश्रवक निर्धारित किये जायेंगे।

ङ. **जलापूर्ति योजना की लघु मरम्मति** ।–जलापूर्ति योजना के लघु मरम्मति से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं के विभिन्न अवयवों को कार्यरत बनाये रखने के लिए साधारण मरम्मति व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मोटर–पम्प की मरम्मति कार्य, Starter की मरम्मति/नये Starter का अधिष्ठापन कार्य, Voltage Stabilizer की मरम्मति कार्य, पम्प चैम्बर का मरम्मति कार्य, Rising Main/Delivery Main/Valve का Restoration कार्य, जल वितरण प्रणाली में बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पाईप में Leakage मरम्मति कार्य, पानी की टंकी का मरम्मति कार्य, Steel/RCC स्ट्रक्चर का मरम्मति कार्य, आदि शामिल होगा।

(i) लघु मरम्मति हेतु संवेदक/एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'मरम्मति दल' का गठन किया जायेगा। इस मरम्मति दल में न्यूनतम एक प्लम्बर एवं दो हेल्पर होंगे और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आदि कर्मियों की समसय उपलब्धता कार्य आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा संवेदक/एजेंसी होने की स्थिति में संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी संवेदकों के साथ समन्वय कर एक साझा 'मरम्मति दल' का गठन करायेंगे। यह दल पंचायत अंतर्गत सभी योजनाओं के लघु मरम्मति हेतु जवाबदेह होगा।

(iii) संवेदक/एजेंसी द्वारा मरम्मति एवं रख–रखाव से संबंधित उपस्कर, औजार, सामग्रियों (कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार) का संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्टोर बनाकर किया जायेगा। स्टोर सामान्यतः पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन या ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गया स्थान होगा और यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। 'मरम्मति दल' भी इस स्थान पर दैनिक रूप से कार्य हेतु उपलब्ध होगा, जो मरम्मति संबंधी सूचना और/या शिकायत प्राप्त होते ही कार्य संपादित करेंगे।

(iv) लघु मरम्मति की सभी शिकायतें संबंधित जलापूर्ति योजना के पम्प हाउस पर संधारित शिकायत पुस्तिका में अंकित की जायेगी। 'मरम्मति दल' के द्वारा शिकायत निवारण के उपरांत पुस्तिका में विवरण अंकित किया जायेगा। पम्प ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह लघु मरम्मति के बाद स्थानीय उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्रमाण प्राप्त करे, जो उसी शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

(v) संवेदक/एजेंसी अपने स्तर पर भी शिकायत निवारण व्यवस्था तैयार करेंगे और शिकायतों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

च. **जलापूर्ति योजना की वृहत मरम्मति**।–जलापूर्ति योजना के वृहत मरम्मति से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं में बड़ी खराबी (Major Breakdown) आने पर संवेदक/एजेंसी को वृहत मरम्मति व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से Boring Failure की स्थिति में नये Boring का निर्माण कार्य एवं Rising Main का संयोजन, नये मोटर पम्प का अधिष्ठापन कार्य, टंकी अधिष्ठापन हेतु नये Structure (RCC/Steel) का निर्माण कार्य, अतिरिक्त पानी की टंकी का अधिष्ठापन कार्य, नये गृह जल संयोजन की माँग आने पर अतिरिक्त पाईप लाईन एवं गृह जल संयोजन देने का कार्य, आपदा एवं Unforeseen की स्थिति में वृहद रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनःस्थापन कार्य, विद्युत ट्रांसफार्मर की बदली, आदि कार्य शामिल होंगे।

(i) बड़ी खराबी (Major Breakdown) की सूचना प्राप्त होते संवेदक/एजेंसी वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करेंगे।

(ii) वृहत मरम्मति के कारण जलापूर्ति व्यवस्था में परिवर्तन की सूचना यथा सुलभ माध्यमों से सभी उपभोक्ताओं मे पहुँचाई जायेगी।

(iii) वृहत मरम्मति की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए अविलंब मरम्मति का कार्य प्रारंभ किया जायेगा और निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को बहाल करेंगे।

(iv) वृहत मरम्मति से संबंधित शिकायत और सूचनाओं को पम्प हाउस में संधारित शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा और इसके अंतर्गत किये गये कार्यों का विवरण भी मरम्मति दल के द्वारा लिखा जायेगा। मरम्मति पूर्ण होने तथा जलापूर्ति व्यवस्था बहाल होने के उपरांत उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्राप्त करते हुए इसे शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

छ. **मरम्मति अनुश्रवण व्यवस्था** ।–संवेदक/एजेंसी का दायित्व होगा कि वह जलापूर्ति योजना को पूरे संचालन एवं रख–रखाव की अवधि में कार्यरत रखे और निर्धारित अवधि में जलापूर्ति सुनिश्चित करे।

(i) संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति की सतता (continuity) बनाये रखने के लिए मरम्मति अनुश्रवण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ii) कार्यपालक अभियंता द्वारा मरम्मति अनुश्रवण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सामान्यतः अवर प्रमंडल/प्रशाखा स्तर पर 'मरम्मति दल' का गठन आउटसोर्सिंग के आधार पर कराया जायेगा।

(iii) 'मरम्मति दल' में मोटरसाईकिल के साथ एक प्लम्बर और दो हेल्पर होंगे। कार्य आवश्यकतानुसार इस दल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मेशन, आदि कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी।

(iv) 'मरम्मति दल' की व्यवस्था विभाग को गैर योजना मद से प्राप्त होने वाले निधि से की जायेगी।

(v) संवेदक/एजेंसी के द्वारा लघु मरम्मति और/अथवा वृहत मरम्मति की शिकायत प्राप्त होने के निर्धारित अवधि के अन्दर कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में एतद संबंधी सूचना प्राप्त होते ही सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के निदेश पर यह 'मरम्मति दल' संबंधित जलापूर्ति योजना में लघु मरम्मति या वृहत मरम्मति के कार्य को संपादित करेगा।

(vi) कार्य संपादन के उपरांत मरम्मति दल द्वारा पम्प ऑपरेटर के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में अंकित शिकायत का निवारण प्रविष्ट करते हुए किये गये कार्यों का विवरण दर्ज करेगा। कार्य समाप्ति और जलापूर्ति सामान्य होने के उपरांत उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्रमाण प्राप्त कर शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

(vii) 'मरम्मति दल' द्वारा संपादित कार्य में आयी कुल लागत राशि और शत प्रतिशत (100%) जुर्माना राशि की वसूली संवेदक/एजेंसी से की जायेगी।

ज़. **संचालन एवं रख रखाव विपत्र का भुगतान**।–संवेदक/एजेंसी को संचालन एवं रख–रखाव के दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के उपरांत विपत्र समर्पित किये जाने (जलापूर्ति योजना वार निर्धारित प्रपत्र एवं अनुलग्नकों के साथ विपत्र उपस्थापित करने) के बाद भुगतान होगा। प्रपत्र एवं अनुलग्नक का निर्धारण विभागीय अभियंता प्रमुख के द्वारा किया जायेगा।

झ. **मासिक उपभोक्ता प्रभार** ।–जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन प्राप्त सभी परिवारों से प्रति गृह जल संयोजन से रू० 30 (तीस रूपया) मासिक उपभोक्ता प्रभार लिया जायेगा, जो सभी उपभोक्ताओं पर समरूप लागू होगा। इसमें आवश्यकतानुसार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

ञ. **मासिक उपभोक्ता प्रभार संग्रहण व्यवस्था**।–

(i) उपभोक्ता प्रभार की वसूली अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा मासिक रूप से की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव से यह कार्य करा सकेगी।

(ii) अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित राशि में से अधिकतम 50% राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त की जा सकेगी, जो चेक अथवा ई–ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते में नियमानुसार अंतरित की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अनिच्छा की स्थिति में वार्ड सभा द्वारा नामित वार्ड सचिव को कार्य करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

(iii) संग्रहित मासिक उपभोक्ता प्रभार का प्रबंधन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा पंचायती राज विभाग के निदेशानुसार किया जायेगा।

(iv) मासिक उपभोक्ता संग्रहण हेतु प्राप्ति रसीद जिला पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी और समिति अपने स्तर पर रसीद को संधारित कर सचिव, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को भुगतान प्राप्ति हेतु उपलब्ध करायेगी।

ट. **उपभोक्ता शुल्क प्रबंधनः**

(i) उपभोक्ता के द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सूचित करते हुए संबंधित उपभोक्ता को नोटिस तामिला कराया जायेगा।

(ii) यदि नोटिस तामिला होने के 30 दिन बाद भी उपभोक्ता द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा गृह जल संयोजन विच्छेद के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जायेगा।

(iii) नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता के द्वारा शुल्क नहीं जमा कराये जाने पर उपभोक्ता का गृह जल संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा।

(iv) पुनः गृह संयोजन शुल्क (Reconnection Charge) रू० 300 (तीन सौ रूपये) होगा और यह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर ही हो सकेगा।

(v) उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति का दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकेगा।

(vi) एक बार गृह जल संयोजन विच्छेद होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बकाया और जुर्माना प्राप्त किये जाने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का आदेश पारित होने पर पुनः गृह जल संयोजन दिया जायेगा।

(vii) यदि उपभोक्ता के द्वारा विभाग के वितरण प्रणाली में मोटर पम्प का उपयोग किया जा रहा है तो कनीय अभियंता के द्वारा इसे तुरंत हटाने का नोटिस तामिला कराया जायेगा। इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा मोटर पम्प नहीं हटाया जाता है तो कनीय अभियंता स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रू० 5000/– का जुर्माना लगाते हुए सम्पति को जब्त करेगी। इसके बाद भी यही कार्य करने पर कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। यदि दोषी उपभोक्ता के द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माना की राशि वसूली जायेगी।

ठ. **जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी ।**–जलापूर्ति योजना से आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी एक अनिवार्य गतिविधि होगी। वैसी जलापूर्ति योजनाएँ जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराईड और आयरन शुद्धिकरण संयंत्र लगाये गये हैं, वहाँ जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी की गतिविधियों में विशेष सतर्कता बरती जायेगी।

ड. **जल मीनार/जल संग्रहण टंकी की सफाई ।**–जल मीनार/जल संग्रहण टंकी की सफाई के तात्पर्य जलापूर्ति योजना अंतर्गत जल संग्रह हेतु बनाये गये जल मीनारों/भूतल जल संग्रह कुण्डों/पी०वी०सी० टंकियों की निर्धारित रसायनों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक से साफ किया जाना है। यह संचालन एवं रख–रखाव की अनिवार्य प्रक्रिया होगी और इसका अनुपालन सभी संवेदक/एजेंसी के द्वारा किया जायेगा।

ढ. **शिकायत निवारण प्रणाली ।**–निर्धारित मानकों के अनुरूप जलापूर्ति सुनिश्चित करने विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जायेगा और सभी उपभोक्ताओं को जलापूर्ति की निर्बाध उपलब्धता के प्रति जागरूक व सक्षम बनाया जायेगा। लोक शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रणाली (Centralized Grievance Redressal System) को सशक्त किया जायेगा।। कॉल एवं एस०एम०एस० आधारित पद्धति द्वारा शिकायतों के निवारण एवं उपभोक्ता संतुष्टि आकलन भी कराया जायेगा। साथ ही, जलापूर्ति योजनाओं में IoT Device के माध्यम से क्रियाशीलता (Functionality) आकलन किया जायेगा।

ण. **शिकायत निवारण समय–सीमा ।**–विभाग द्वारा पेयजलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु नागरिक घोषणा पत्र (Citizen Charter) तैयार किया जायेगा। शिकायत निवारण की समय–सीमा मरम्मति में लगने वाले आदर्श अवधि और उपभोक्ताओं को त्वरित पेयजल की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यह सभी संबद्ध के लिए समरूप लागू होगी।

लोक शिकायत	शिकायत निवारण अवधि	निवारण पदाधिकारी	समीक्षा पदाधिकारी
जलापूर्ति योजना में लिकेज साधारण (Minor) असाधारण (Major)	12 - 24 घंटा 3 - 5 दिन		
मोटर पम्प में खराबी	24 घंटा योजना स्तर पर एक अतिरिक्त मोटर रखा जायेगा		
साधारण मरम्मति	24 घंटा		
स्टैण्ड पोस्ट की मरम्मति	24 घंटा	कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता
जल मीनार की सफाई	15 दिन; यदि विगत 6 माह में सफाई नहीं की गई हो		
नया गृह जल संयोजन/ गृह जल संयोजन विच्छेदन	3 दिन यदि pipeline आवेदक के समीप हो 30 दिन यदि नई pipeline बिछाये जाने की आवश्यकता हो		
जल गुणवत्ता की जाँच	03 दिन		

त. **जलापूर्ति योजना का अनुश्रवण एवं शिकायतों का निस्तारण** ।–जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य से संबंधित शिकायतों का निष्पादन लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर से किया जायेगा और इसका पर्यवेक्षण पाक्षिक रूप से अधीक्षण अभियंता करेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मासिक पर्यवेक्षण का कार्य संपादित करेंगे।

थ. **प्रशिक्षण एवं कौशल विकास** ।–दीर्घकालिन कार्य योजना के तहत रख–रखाव एवं अनुरक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों, विभागीय पदाधिकारियों और ग्राम पंचायत एवं इसकी समितियों को संसाधन एवं कौशल युक्त बनाने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्राधिन गठित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन नोडल संस्थान होगा। इस हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता को जारी रखा जायेगा।

द. **अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का दायित्व** ।–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आच्छादित वार्डों में अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड सचिव निम्नवत् दायित्वों का निर्वहन करेंगेः–

- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में जलापूर्ति योजना की पम्प ऑपरेटर के साथ समीक्षा करना;
- उपभोक्ता, समिति के साथ और संवदेक के सहयोग से जल चौपाल का मासिक आयोजन;
- गुणवत्ता जाँच हेतु जल नमूना तैयार करना;
- वार्ड सभा/ग्राम सभा, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों में पेयजल के सदुपयोग, जल संरक्षण पर चर्चा करना। जल बर्बादी करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पेयजल के महत्व के बारे में समझाना;
- प्रत्येक महीने की पहली से दसवीं तारीख तक मासिक उपभोक्ता प्रभार की वसूली और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा कराना;
- समय–समय पर पंचायती राज विभाग के परामर्श से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

  अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नियमित रूप से कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण/कार्यशाला, बैठक में शामिल होंगे और समय–समय पर दिये जाने वाले निदेशों–अनुदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ध. **जन सहभागिताः** जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार समुदाय के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अलावा पानी समिति का गठन, जल चौपाल का आयोजन एवं सामाजिक अंकेक्षण भी समय–समय पर कराया जायेगा। विशेषकर जल गुणवत्ता से प्रभावित इलाकों, AE/JES प्रभावित इलाकों में सुरक्षित जलापूर्ति योजनाओं के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा। विभाग द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से व्यापक सामाजिक जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाये जायेंगे।

4. **वित्त की व्यवस्था।**–जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवें वित्त आयोग और छठा वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद एवं (c) गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से भी सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) क्रियान्वित की जा सकेगी।

5. **अनुदेश में संशोधन एवं विस्तार का प्राधिकारः ।**–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए विभाग अधिकृत होगा।

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

1. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020–25) के अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' निश्चय अंतर्गत विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख–रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। इस व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा एक पारदर्शी व जवाबदेह व्यवस्था बनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि जलापूर्ति योजनाओं की सेवा प्रदायता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सके।

2. सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पाईप्ड जलापूर्ति योजनाएँ तैयार की गई हैं। संवदेक द्वारा जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं तीन/छः माह के ट्रायल रन के बाद योजना का आगामी पाँच वर्षों तक संचालन व रख–रखाव किया जाना है।

3. जलापूर्ति योजना के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु गतिविधियाँ।–

3.1 पम्प ऑपरेटर द्वारा जलापूर्ति किये जाने की दैनिक गतिविधि

- जलापूर्ति पम्प/मोटर को सुबह चालू करने से पहले यह ध्यान देना कि प्लांट के सभी बिजली तार एवं पाईप कनेक्शन सही स्थिति में हो।
- ट्रीटमेन्ट प्लांट के सभी पाईपों एवं तारों के कनेक्शन, पम्प, फिल्टर, वैसेल में प्रयुक्त वाल्वों को देखना कि वे सही स्थिति में है।
- पम्प को चालू करने से पूर्व यह निश्चित होना कि फिल्टर मिडिया का बैक वाश आवश्यक है या नहीं (आयरन शुद्धिकरण संयंत्र में दैनिक रूप से/फ्लोराईड एवं आयरन शुद्धिकरण संयंत्र में आवश्यकतानुसार)। यदि बैक वाश की जरूरत हो तो फिल्टर मिडिया का बैक वाश करना।
- पम्प को चालू करने के उपरान्त, फिल्टर एवं पाईप लाईन में जल के दबाव पर लगातार ध्यान रखना।
- वाटर टैंक से ओभर फ्लो को नियंत्रित रखना।
- शुद्ध पेयजल की उपयोगिता एवं सदुपयोग पर ग्रामीणों को जागरूक करना।
- प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की मात्रा, विद्युत व्यवधान का विवरण, वोल्टेज, आपूर्ति किये जा रहे जल की फिल्ड टेस्ट किट से जांच कर उन्हें लॉग बुक में दर्ज करना।
- पम्प गृह एवं परिसर को साफ रखना।
- पानी की गुणवत्ता जाँच हेतु जल नमूना संग्रह हेतु उपलब्ध कराये गये बोतल में जल नमूना संग्रहित करना।
- जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों को शिकायत पंजी में अंकित करना और शिकायत निवारण सुनिश्चित कराना।

3.2 पम्प ऑपरेटर द्वारा की जाने वाली दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रख रखाव और अनुरक्षण गतिविधियाँ

क्रम	गतिविधियाँ	गतिविधि की अवधि		
		दैनिक	साप्ताहिक	अर्द्धवार्षिक
1	2	3	4	5
1	विद्युत आपूर्ति उपकरण/सोलर पैनल एवं पम्प की अपकीपिंग		✓	
2	शुद्धिकरण संयंत्र के पाईप कनेक्शन का निरीक्षण	✓		
3	जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण		✓	
4	गृह जल संयोजन का निरीक्षण		✓	
5	शुद्धिकरण संयंत्र/पम्प हाउस की सफाई	✓		
6	योजना परिसर की सफाई		✓	
7	स्टोरेज टैंक की सफाई (केवल PVC हेतु)			✓
8	लॉग बुक में संयंत्र के परिचालन की अवधि आदि को दर्ज करना।	✓		
9	फ्लोमीटर एवं प्रेशर गेज के रीडिंग को लॉग बुक में दर्ज करना।	✓		

4. जलापूर्ति अनुश्रवण प्रणाली।–

a. जलापूर्ति योजनाओं की real-time status monitoring हेतु योजना में IOT Device का प्रावधान किया गया हैं तथा सभी जिला के विभागीय प्रमंडल कार्यालयों में केन्द्रीकृत Dashboard के माध्यम से तथा राज्य स्तर पर विभागीय मुख्यालय में केन्द्रीकृत Dashboard के माध्यम से सतत functionality की निगरानी की जायेगी। Dashboard पर जलापूर्ति बाधित/बन्द होने की सूचना प्राप्त होते ही एतद् संबंधी संदेश संबंधित ग्राम पंचायत के संवेदक एवं 'मरम्मति दल' को SMS से भेजा जायेगा। साथ ही कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को भी SMS से प्राप्त होगा। इसे राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग में भी शिकायत के रूप में दर्ज कर निवारक गतिविधि संपादित कराई जायेगी। निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निराकरण नहीं होने पर पुनः सूचना कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियेंता को दी जायेगी, जो विभागीय 'मरम्मति दल (QRT)' के माध्यम से उक्त कार्य को करायेंगे। यह व्यवस्था ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित एवं अनुश्रवित होगा। अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारी इसका दैनिक अनुश्रवण करेंगे और उनके सहयोगार्थ 04 कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी होंगे, जो functionality को सुनिश्चित करायेंगे।

b. कनीय अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा जलापूर्ति योजना का विभागीय निदेशानुसार निरीक्षण करेंगे और प्रतिवेदन Mobile App के माध्यम से State MIS पर प्रतिवेदित किया जायेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित सुधारात्मक बिन्दुओं को संबंधित ग्राम पंचायत के 'मरम्मति दल' को भेजा जायेगा और त्वरित सूचना कार्यपालक अभियंता को भी प्रेषित की जायेगी। इसे राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कोषांग में भी शिकायत के रूप में दर्ज कर निवारक गतिविधि संपादित कराई जायेगी। निरीक्षण टिप्पणी पम्प हाउस में रखे गये पंजी में भी अंकित किया जायेगा।

c. विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा और प्रतिवेदन Mobile App के माध्यम से State MIS पर प्रतिवेदित किया जायेगा–

पदाधिकारी	मासिक रूप से निरीक्षण की जाने वाली न्यूनतम योजनाएं
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	10
अधीक्षण अभियंता	15
कार्यपालक अभियंता	15
सहायक अभियंता	20
कनीय अभियंता	25

d. अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के द्वारा निगरानीः अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को जलापूर्ति योजना के प्रथम सूचक के रूप में नामित किया जायेगा। उन्हें निम्नलिखित कार्य–दायित्वों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा–

i. जलापूर्ति योजना का वितरण प्रणाली का दैनिक रूप से निरीक्षण करना और त्रुटियों को राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर पर पंजीकृत कराना;

ii. प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के साथ लाभुक महिलाओं की मासिक बैठक आयोजित कर जलापूर्ति योजना की कार्य समीक्षा/सामुदायिक जागरूक करना (जल चौपाल लगाना) और बैठक के सारांश को Mobile App के माध्यम से साझा करना;

iii. वार्ड क्षेत्र में जलापूर्ति योजना से संबंधित समस्याओं को शिकायत पंजी में दर्ज करना और उसके निवारण में मरम्मति दल को सहयोग देना;

iv. विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001231121 के माध्यम से शिकायतों को निबंधित कराने में समुदाय को सहयोग देना;

v. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले फिल्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता निगरानी और इसके परिणाम को स्थानीय समुदाय के बीच साझा करना;

vi. जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जल नमूना को एकत्रित करना एवं जल जाँच प्रयोगशाला में भेजना।

e. जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के निबंधन हेतु योजना स्तर पर एक शिकायत पंजी उपलब्ध होगी, जिसे पम्प ऑपरेटर द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा। पम्प ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह जलापूर्ति योजना से संबंधित सभी शिकायतों को अंकित करें और शिकायत निवारण होते ही 24 घंटे के अन्दर इसे अद्यतन करे। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) अध्यक्ष इसका नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और शिकायत निवारण के कार्य को सत्यापित करेंगे। प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को आयोजित होने वाले 'जल चौपाल' में शिकायत पंजी रखी जायेगी और उस पर चर्चा होगी। कनीय अभियंता मासिक रूप से शिकायत पंजी का निरीक्षण कर इसमें अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

f. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में भी प्राप्त होने वाली शिकायतों का निबंधन और निराकरण से संबंधित सूचनाओं का संधारण किया जायेगा। नियत्रंण कक्ष का संचालन सहायक अभियंता (मुख्यालय) की देख–रेख में किया जायेगा और वे शिकायतों के ससमय निराकरण के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। कार्यपालक अभियंता साप्ताहिक रूप से नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करेंगे और शिकायत निबंधन पंजी में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 732-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in